संख्या-971/2018/1752/22-2-2018-17(137)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धीरज पुत्र श्री नत्थू निवासी जनपद- गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक दिनांक 07-08-2018)दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी धीरज पुत्र श्री नत्थू, जो निवासी-ग्राम- सलारपुर, थाना- दनकौर, जनपद- गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.1981 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी, बल्ल्म, जेली व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-264/1982 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 19.09.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2012 द्वारा धारा-302/149 को भा0द0वि0 धारा- 304(1) में परिवर्तन करते हुए आजीवन कारावास को लघुकृत करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा में परिवर्तित किया जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2018 तक 05 वर्ष 04 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.09.2017 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा किया गया अपराध यदपि गम्भीर प्रवृत्ति का है जो व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता है**,** बंदी के जेल से बाहर आने पर उसके पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्व सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु**,** काटी गयी सजा, एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धीरज (बन्दी संख्या-98/13) पुत्र श्री नत्थू निवासी जनपद- गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-971/2018/1752(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in